




क्रमांक एफ 61 (157) SSAAT/SD S/SRP/DRP/चयन सम्बंधी/2021 पार्ट iii/3239 दिनांक: 21/08/2023

कार्यालय आदेश

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), जयपुर द्वारा जारी सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधि विनियम, पत्रांक: एफ. 61 (21) SSAAT/नियममावली/2019/7497 दिनांक 12.03.2020 (आदेश संख्या 2/2020) के पैरा संख्या 6 सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरांत अनुबंध किये जाने की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 1- सामाजिक विकास विशेषज्ञ/राज्य संसाधन व्यक्ति/जिला संसाधन व्यक्ति/ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन उपरांत भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. संस्थान (NIRD), हैदराबाद के मार्गदर्शन में 30 दिवसीय सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 1 वर्ष के लिये अनुबंध किया जा सकेगा।


उक्त नियम की पालना में जिला संसाधन व्यक्ति पद हेतु नामित सर्व श्री दीपक किशन एवं भीम सिंह सैनी को कार्यालय आदेश पत्रांक: एफ. 61 (111) SSAAT/ प्रशिक्षण/1982 दिनांक 25.07.2023 द्वारा 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रथम चरण दिनांक 31.07.2023 से 29.08.2023 तक सहकारी प्रबंध संस्थान, 10 बी ब्लॉक ए झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (NIRD&PR) हैदराबाद द्वारा नामित पाठ्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आदेशित किया गया लेकिन उक्त आवेदकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम छोड़ दिये जाने के कारण उनका चयन निरस्त किया जाता है।


(संदीप चौहान)
निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

3240-44
क्रमांक एफ 61 (157) SSAAT / SDS / SRP / DRP / चयन सम्बंधी / 2021 पार्ट iii / दिनांक 21/08/2023
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

1. प्रोग्रामर (SSAAT), जयपुर को इसे SSAAT, RD एवं NREGA की वेवसाईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित है।
2. स्थापना शाखा-सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शितासोसायटी (SSAAT), जयपुर।
3. श्री दीपक किसान पुत्र श्री कैलाश चन्द किसान ग्राम जटवाड़ा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
4. श्री भीम सिंह सैनी पुत्र श्री श्योराम सैनी ग्राम- बानसूर, सहसील बानसूर जिला अलवर पिन:- 3014002।
5. आवक-जावक शाखा को प्रेषित कर निर्देश दिये जातें है कि उक्त आदेश सभी चयनित अभ्यर्थी को ई-मेल द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
6. रक्षित पत्रावली



निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)